

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 4131/2026

Sahun Son Of Shri Ali Mohammad,

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Rahul Sharma

For Respondent(s) : Mr. Amit Kumar Gupta, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

10/04/2026

प्रार्थी—अभियुक्त साहुन पुत्र अली मौहम्मद के अधिवक्ता उपस्थित। विद्वान लोक अभियोजक उपस्थित। अन्वेषण अधिकारी श्री श्री जगदीश बाबू, एसआई, पुलिस थाना सीकरी, जिला—डीग उपस्थित हैं।

अन्वेषण अधिकारी ने प्रकट किया प्रकरण में अभियुक्त साहुन पुत्र धांधु, निवासी बास बुर्जा, थाना सीकरी है और उसका धारा 37 पुलिस एक्ट के अन्तर्गत वारंट भी जारी किया गया है। वर्तमान प्रार्थनापत्र में प्रार्थी—अभियुक्त का नाम साहुन पुत्र मौहम्मद अली, निवासी बास बुर्जा, थाना सीकरी है तथा इसी नाम से विचारण न्यायालय में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था और विचारण न्यायालय में प्रार्थी—अभियुक्त साहुन पुत्र अली मौहम्मद का ही नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में होना और उसी के विरुद्ध धारा 37 पुलिस एक्ट का वारंट जारी होना बताया है।

प्रार्थी—अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता इस संबंध में निर्देश प्राप्त कर निवेदन करने के लिए समय चाहते हैं कि क्या साहुन पुत्र **धांधु** और साहुन पुत्र **अली मौहम्मद** एक ही व्यक्ति हैं ?

न्यायालय के समक्ष उपस्थित अन्वेषणकर्ता को भी निर्देशित किया जाता है कि वे भी इस संबंध में सुनिश्चित करने के उपरान्त यह रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि क्या साहुन पुत्र धांधु और साहुन पुत्र अली मौहम्मद एक ही व्यक्ति हैं ?

आयन्दा पेशी पर उक्त रिपोर्ट मय केस डायरी अन्वेषण अधिकारी द्वारा न्यायालय के समक्ष भिजवा दिये जाने की स्थिति में उन्हें व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

प्रकरण एक सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जावे।

(SHUBHA MEHTA),J